

जनसंपर्क संचालनालय

मध्य प्रदेश शासन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक जुलाई, 2017
५/४/२०१७


क्रमांक ए 1-6/2017/जसंसं/स्था./ ५५६३ /मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड द्वारा समूह-4 के अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2017 के माध्यम से चयनित निम्नांकित आवेदकों को नियमित प्रचार सहायक ग्रेड-दो के पढ़ वेतनमान ५२००-२०२००+ग्रेड पे-२१०० में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर अन्य आदेश पर्यन्त कॉलम ४ में दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	आवेदक का नाम	वर्ग	पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्रीमती नीलू कौशिक, पत्नी श्री प्रतीक कौशिक जिला इंदौर	अनारक्षित	जिला जनसंपर्क कार्यालय, खण्डवा
2.	कु. दिव्या घोगरकर, पुत्री श्री भीमराव घोगरकर जिला भोपाल	अनुसूचित जाति	जिला जनसंपर्क कार्यालय, सीहोर

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. कि वे सेवा शर्तों के उन परिवर्तनों से बाध्य होंगे, जिन्हें शासन समय-समय पर परिवर्तन करना उचित समझे उदाहरणार्थः-अवकाश नियम, पेशन नियम आदि में परिवर्तन।
2. कि उन्हें संचालनालय के अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा।
3. कि उनकी नियुक्ति विशुद्धतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का लिखित नोटिस अथवा उसके बदले एक माह के वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पूर्व अथवा बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये शासकीय सेवा छोड़ दी है। उन्हें एक माह अथवा नोटिस अवधि में जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान करना होगा।
4. कि राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेशन प्रणाली का प्रावधान है। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जाएं और उन्हें लागू किया जाए, के अध्यधीन रहेंगे।
5. कि नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापना के जिला मुख्यालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. कि चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदस्थापना कार्यालय के माध्यम से जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल को भेजना होगा। नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-६ के उपनियम(६) जिसमें प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान जीवित होने पर एक का जन्म यदि 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, तो किसी भी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा।
8. कि उनके द्वारा प्रस्तुत शास्त्र-पत्र, कोई भी अभिलेख/तथ्य असत्य पाए जाने तथा प्रमाणित होने पर दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. कि नियुक्त कर्मचारी दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त रहेंगे। इस अवधि में उन्हें विहित परीक्षा/प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा। तब-तक पद के वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतन प्राप्त होगा। परिवीक्षा अवधि वेतनवृद्धि के लिए मान्य नहीं होगी।
10. कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-४/२००९/नियम/चार भोपाल दिनांक 20 अगस्त, २००९ में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रचार सहायक ग्रेड-दो- के लिये वेतन बेंड ५२००-२०२०० में इनका वेतन कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को रूपये ६५१०/-ग्रेड-पे-२१००/-निर्धारित होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला आरक्षण के संबंध में राज्य शासन के प्रावधानों/आदेशों का पालन किया गया है तथा संबंधित संवर्ग के लिए निर्धारित/संधारित रोस्टर में संबंधित वर्ग के अन्तर्गत रिक्त बिन्दु पर प्रविष्टि की गई।


 (अनुपम राजन)

 आयुक्त जनसंपर्क
...2

पृष्ठमांक ए 1-6/2017/जसंसंस्था। 5564

प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक जुलाई, 2017

4/8/2017

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश गवालियर।
2. अपर/संचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. नियन्त्रक, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल।
4. स्टेनो, आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
5. समस्त अपर संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
6. संयुक्त/सहायक संचालक, लेखा, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
7. अपर/संयुक्त संचालक, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, इंदौर/भोपाल।
8. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय, खण्डवा/सीहोर को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण की तिथि से मुख्यालय को अवगत करायें एवं सम्बन्धित के सेवा अभिलेख भी तैयार करवायें।
9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, खण्डवा/सीहोर।
10. संबंधित संहायक/स्थापना/गोपनीय कक्ष/अवकाश/लेखा, (जीपीएफ, जी.आई.एस, परिवार कल्याण निधि, वेतन, बजट) जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
11. अध्यक्ष, विभागीय तृतीय कर्मचारी समिति, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय, भोपाल।
12. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल सर्वर, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
13. श्रीमती नीलू कौशिक, पत्नी श्री प्रतीक कौशिक, म.न. क्यू 203, शालीमार पाम्स अग्रवाल स्कूल के पास पीपल्याहाना, जिला इंदौर की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
14. कु. दिव्या घोगरकर, पुत्री श्री भीमराव घोगरकर, म.न. 254 पंचशील नगर के पास सेकेण्ड स्टाफ, जिला भोपाल की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
15. स्टाक/रिकार्ड।

akleem
 (अनिल माशुर)
 संचालक, जनसंपर्क